

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़

क्रमांक: RELIEF/AGRI/OSMF/50-75/2022

दिनांक: 30/06/2022

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2076/CHI/0004659

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2076 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 9327-70 दिनांक 06.11.19 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के बाढ़ प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2076 (खरीफ-2019) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलों हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
गंगारार	24	Other Than SMF	50%-75%	128232
चित्तौड़गढ़	30	Other Than SMF	50%-75%	360128
बड़ी सादड़ी	128	Other Than SMF	50%-75%	1726112
रावतभाटा	222	Other Than SMF	50%-75%	2375947
निम्बाहेड़ा	90	Other Than SMF	50%-75%	932212
बेगुँ	106	Other Than SMF	50%-75%	1435616
भदेसर	37	Other Than SMF	50%-75%	412420
योग	637			7370667

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कृषकों हेतु 2245-02-114-(10)-01-12 बजट मद पर भारित होगी ।

जिला कलेक्टर,
चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।

जिला कलेक्टर,
चित्तौड़गढ़

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़

क्रमांक: RELIEF/AGRI/FLOOD/OSMF/75-100/2022

दिनांक: 30/06/2022

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/AGRI/2076/CHI/0004658

प्रशासनिक स्वीकृति

विषय:- अभाव संवत् 2076 के प्रभावित कृषकों हेतु कृषि आदान अनुदान बाबत ।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 9327-70 दिनांक 06.11.19 द्वारा अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों के बाढ़ प्रभावित कृषकों को अभाव संवत् 2076 (खरीफ-2019) में कृषि आदान अनुदान राशि दिये जाने हेतु आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों की अनुपालना में निम्नानुसार तहसीलो हेतु प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है-

तहसील	कृषक संख्या	कृषक श्रेणी	फसल खराबा श्रेणी	राशि (रु में)
गंगारार	13	Other Than SMF	75%-100%	157532
योग	13			157532

उक्त स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2022-2023 में कृषकों हेतु 2245-02-114-(10)-01-12 बजट मद पर भारित होगी ।


जिला कलेक्टर,
चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज., जयपुर।
2. सम्भागीय आयुक्त,
3. विशिष्ट सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, आ.प्र. एवं सहायता विभाग, राज, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद.....
6. अति. जिला कलेक्टर.....
7. तहसीलदार
8. जिला जनसम्पर्क अधिकारी.....
9. निजी सहायक, जिला कलेक्टर.....
10. रक्षित पत्रावली।


जिला कलेक्टर,
चित्तौड़गढ़